



क्र.प्रनि/पक्षे/01/स्था-1/09/47

इन्दौर/दिनांक 30 JAN 2018

आदेश

श्री अमित सक्सेना (क्र.84525244), अधीक्षण यंत्री (तकनीकी प्रकोष्ठ) एवं डीडीयूजीजेवाय एवं फीडर सेपरेशन तथा प्रोजेक्ट डायरेक्टर (फीडर विभक्तिकरण परियोजना) कार्पोरेट कार्यालय, इन्दौर को स्थानान्तरित कर तत्काल प्रभाव से संचा:संधा वृत्त, बुरहानपुर में पदस्थ किया जाता है ।

आदेशानुसार

(एन.सी गुप्ता)
संयुक्त सचिव-।

पृ.क्र.प्रनि/पक्षे/01/स्था-1/09/2111
प्रतिलिपी :-

इन्दौर/दिनांक

- 1 निदेशक (वाणिज्य/तकनीकी), कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर 30 JAN 2018
- 2 कार्यपालक निदेशक (इं.क्षे.) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।
- 3 कार्यपालक निदेशक (आयपीडीएस/ऑपरेशन) एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।
- 4 मुख्य अभियंता (आरएपीडीआरपी-ए एवं बी तथा आयपीडीएस) कार्पोरेट कार्यालय, इन्दौर ।
- 5 मुख्य अभियंता (उ.क्षे.) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., उज्जैन ।
- 6 मुख्य अभियंता (सिविल) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।
- 7 मुख्य वित्तीय अधिकारी, कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।
- 8 अतिरिक्त मुख्य अभियंता (कार्य/क्रय/वाणिज्य/एमटी/विस/एचटी प्रकोष्ठ) कार्पोरेट कार्यालय, इन्दौर ।
- 9 अधीक्षण यंत्री (भण्डार) वृत्त, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इन्दौर ।
- 10 अधीक्षण यंत्री (सू.प्रौ.) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर । उक्त आदेश कंपनी की वेबसाइट पर प्रसारित करें ।
- 11 अधीक्षण यंत्री (संचा:संधा) वृत्त, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. बुरहानपुर ।
- 12 संयुक्त सचिव- II, कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।
- 13 संयुक्त सचिव- III, केन्द्रीय स्थापना दावा प्रकोष्ठ, कार्पोरेट कार्यालय, इन्दौर ।
- 14 निज सचिव, माननीय उर्जा मंत्रीजी, म.प्र.शासन, भोपाल ।
- 15 उप सचिव, कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।
- 16 वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर/खण्डवा ।
- 17 निज सचिव, प्रबंध निदेशक, कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।
- 18 श्री अमित सक्सेना, अधीक्षण यंत्री द्वारा - निदेशक (तकनीकी), कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

टीप-1) कंपनी के परिपत्र क्र.प्रनि/पक्षे/01/स्था-1/08/633 दि.14.08.13 के अनुसार अधिकारी पदभार समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें/नवीन पदस्थापना स्थल पर निर्धारित कार्यग्रहण अवधि में कार्यग्रहण कर लेना चाहिए अन्यथा इसे आदेश की अवहेलना मानी जाकर वे अनुशासनात्मक कार्यवाही के पात्र होंगे ।

(2) पदभार समर्पित/ग्रहण करने संबंधी प्रतिवेदन (डी-17) की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने की व्यवस्था करें ।

(एन.सी गुप्ता)
संयुक्त सचिव-।